nites, a State Government undertaking, have been given permission for setting up 100 per cent Export Oriented granite units for products based, among others, on black granite. Some other proposals for setting up granite units are also in the pipeline. As granite technology is machine based, no foreign technical collaboration is generally allowed in this industry.

Setting up of industries in South Arcot district of Tamil Nadu

2265. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether South Arcot district in Tamil Nadu will be declared as industrially and economically backward; and

(b) whether the Central Government propose to set up new industries in this district for the upliftment of the poor, especially the backward, schedule castes and schedule tribes in this area?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): (a) South Arcot has been declared a Category 'C' backward district by the Central Government.

(b) Industrialisation of a particular district in a State is primarily the responsibility of the State Government concerned. However, the Central Government supplement their efforts by offering certain incentives such as priority in licensing, concessional finance etc. for entrepreneurs setting up industries in centrally declared backward areas. The entrepreneurs setting up industries in South Arcot District are eligible for these concessions.

पेट्रोलियम उत्पादों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

2266. **डा० अबरार अहमद खान:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर आज तक महीने वार कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है;

(ख) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में स्लैक वैक्स का आयात भी सम्मिलित है; यदि हां, तो इसकी मात्रा कितनी है;

(ग) क्या उक्त स्लैक वैक्स का निर्माण हमारे देश की परिष्करण-शालाओं में भी किया जा सकता था; और

(घ) उन पेट्रोलियम उत्पादों और स्लैक-वैक्स के नाम क्या हैं जिनका निकट भविष्य में सरकार द्वारा निर्माण किए जाने अथवा जिनका उत्पादन बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि ऐसे उत्पादों के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी-मुद्रा की बचत की जा सके?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) विवरण संलग्न है। [*See* Appendix CLV Annexure No. 81]

(ख) से (घ): स्लैक वैक्स का उत्पादन देश में ही होता है और इस उत्पाद का आयात नहीं किया जाता है। मौजूदा रिफाइनरियों की अड़चनों को दूर करके और आठवीं योजना अवधि में देश के विभिन्न भागों में नई ग्रासरूट रिफाइनरियों की स्थापना करके शोधन क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्लैक वैक्स सहित सभी प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा और इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्टरी का पुनः शुरू किया जाना

2267. **डा० अबरार अहमद खान:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सवाई माधोपुर में बन्द पड़ी सीमेंट फैक्टरी को पुनः चलाने के लिए कोई नए प्रयास कर रही है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड ने इस फैक्टरी को पुनः चलाने के लिए कोई नई योजना तैयार की है और उसे बी.आई.एफ.आर. को प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो बी०आई०एफ० आर० ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (ग) मै० जयपुर उद्योग लिमिटेड, जिसका सवाई माधोपुर में एक सीमेंट कारखाना है, को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटी के आधार पर, भारतीय स्टेट बैंक ने कार्यशील पूंजी की सुविधाएं दी थीं। किन्तु, गारंटी का नवीनीकरण नहीं होने पर बैंक संबंधी लेन-देन 1-7-1988 से बन्द कर दिए गए थे।

राज्य सरकार तथा कंपनी द्वारा किए गए पत्राचार के आधार पर, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने एक पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को प्रचालक ऐजेंसी के रूप में नियुक्त किया था। आई आर बी आई द्वारा तैयार की गयी योजना तथा मामले के सभी संबंद्ध पहलुओं व परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, बोर्ड की विशेष पीठ अपनी 30 जनवरी, 1989 की सुनवाई में प्रथम दृष्टि में इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि मै० जयपुर उद्योग लिमिटेड को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन जोय्यक्षम नहीं बनाया जा सकता है, अतः इसे समाप्त कर देना न्यायोचित होगा।

इस एकक को बन्द कर देने के बारे में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा 30 जनवरी, 1989 को दिए गए आदेश को एकक के एक प्रवर्त्तक द्वारा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण में चुनौती दी गयी थी। अपील प्राधिकरण ने अपने तारीख 12.6.1989 के आदेश में यह मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को इसके द्वारा की गयी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए जांच करने के लिए वापस भेज दिया था।

बी आई एफ आर ने अपने 25 जुलाई, 1989 के आदेश द्वारा आई आर बी आई को अपील प्राधिकरण द्वारा की गयी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना तैयार करने का निदेश दिया था। आई आर बी आई ने अपनी संशोधित रिपोर्ट बी आई एफ आर को प्रस्तुत कर दी है। इस मामले की पिछली सुनवाई 21-3-1990 को हुई थी, जबकि आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। चूंकि बी आई एफ आर एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, इसलिए यह मामला न्यायाधीन है।

Writ petition by A.I. against Chief Labour Commissioner (Central)

2268. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Air India filed a writ petition in the Delhi High Court against the Chief Labour Commissioner (Central);

(b) if so, whether Government have authorised Air India to file this writ petition against Government; and

(c) if not, who has authorised Air India to file such a writ petition?

THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) Air India has filed a writ petition in the Delhi High Court against the orders passed by the Appellate Authority under the provisions of Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.

(b) and (c) Permission to the Government is required only when Appeal is filed against an award of an Industrial Tribunal or a Labour Court. This Writ falls into a different category.